अध्याय-3

योजना प्रक्रिया एवं समन्वय

3.1 प्रस्तावना

रा.कृ.वि.यो. का एक मुख्य उद्देश्य कृषि-जलवायु परिस्थितियों, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता तथा प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर जिलों तथा राज्यों हेतु कृषि योजनाएं तैयार किए जाने को सुनिश्चित करना था। राज्यों द्वारा व्यापक रूप से संसाधनों को आवृत्त करते हुए सुस्पष्ट कार्य योजनाओं को समग्र राज्य एवं प्रत्येक जिले में अलग-अलग कृषीय योजनाओं को तैयार करना अपेक्षित था। इन कृषीय योजनाओं को बुनियादी स्तर से तैयार किए जाने से लेकर मंत्रालय तथा योजना आयोग को उनके प्रस्तुतीकरण तक की प्रक्रिया को नीचे दर्शाया गया है:

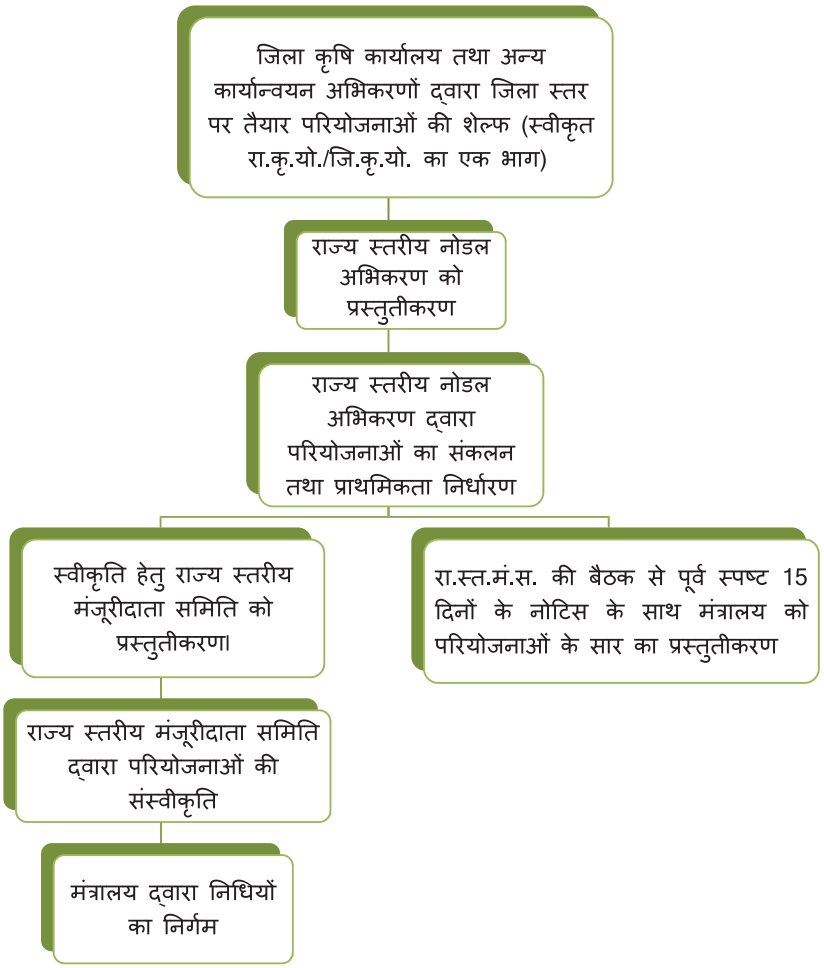

चूंकि कृषि योजना में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में विशेषज्ञों से पर्याप्त तकनीकी सहायता अपेक्षित है इसलिए क्षेत्र की आवश्यकताओं से संबंधित विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के एक समूह को शामिल करके स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों पर कृषि योजना इकाईयों अर्थात ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम/पंचायत कृषि योजना इकाई (ग्रा.कृ.यो.इ./ पं.कृ.यो.ई.), ब्लॉक/तालुका स्तर पर ब्लॉक/तालुका कृषि योजना इकाई (ब्ला.कृ.यो.इ./ता.कृ.यो.इ.) तथा जिला/जिला परिषद स्तर पर जिला कृषि योजना इकाई (जि.कृ.यो.इ.) का गठन किया जाना था।

जि.कृ.यो. को बहु कार्यक्रमों, जो संबंधित जिले में परिचालन में थे, को सम्पूर्ण राज्य द्वारा दर्शाए गए संसाधनों तथा कार्यों को शामिल तथा अन्य कार्यक्रमों से उपलब्ध संसाधनों को सम्मिलित करना था।

प्रत्येक राज्य को जि.कृ.यो. को संघटित करके एक व्यापक राज्य कृषि योजना (रा.कृ.यो.) तैयार करनी थी। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के संबंध में राज्य की प्राथमिकताओं को उपयुक्त रूप से जिला कृषि योजनाओ में लिया गया है, यह सुनिश्चित करना नोडल विभाग/राज्य अभिकरण जिन्हें रा.कृ.यो. तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रदान किया गया था, का दायित्व था।

इसके लिए गठित नोडल विभाग/राज्य अभिकरण का कार्य प्रत्येक जिले से ऐसी परियोजनाओं को प्रारम्भ/संकलित कर प्राथमिकता प्रदान करने तथा उन्हें राज्य स्तरीय मंजूरीदाता समिति (रा.स्त.मं.स.), जो परियोजनाओं की संस्वीकृति के प्राधिकार से निहित है, के समक्ष प्रस्तुत करना था। एक बार रा.स्त.मं.स. परियोजनाओं को संस्वीकृत कर देती है, तो मंत्रालय को नोडल विभाग/राज्य अभिकरण को निधियां जारी करनी थी।

3.2 जि.कृ.यो./रा.कृ.यो. को तैयार करने तथा प्रस्तुतीकरण में कमियां

अभिसरण के अलावा रा.कृ.वि.यो. के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु सम्मिलित योजना एक मुख्य घटक था जिसे आधारभूत कार्य के रूप में लिया जाना था। लेखापरीक्षा में अभिलेखों की संवीक्षा ने योजनाओं (विस्तृत राज्य-वार निष्कर्ष

अनुबंध-II) में निम्नलिखित कमियों को प्रकट किया।

	दिशानिर्देशों योजना प्रक्रिया में मापदण्ड	**इनमें अनुपस्थित (राज्यों की संख्या)**
1	कृषि-जलवायु अध्ययन	5
2	अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण	6
3	वि.प.रि. को तैयार करना	9
4	मूल स्तर के अभिकरण का शामिल होना	8
5	रा.कृ.यो. में परियोजनाएं लेकिन जि.कृ.यो. में इनका न होना	5

लोगों की आवश्यकता को पूरा करके सम्मिलित योजना रा.कृ.वि.यो. की एक मूल अवधारणा थी। इसमें आवृत्ति से बचने तथा कृषि-जलवायु परिस्थिति हेतु उचित ध्यान के लिए अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण परिकलित था। लेखापरीक्षा अध्ययन से पता चला कि कई राज्यों द्वारा इन कारकों पर ध्यान नहीं दिया गया था। राज्यों में लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि पांच राज्यों में, ₹1962.29 करोड़ की संस्वीकृत लागत पर 143 परियोजनाएं जि.कृ.यो. में दर्शाए बिना रा.कृ.यो. में शामिल की गई थीं।

तालिका 3.1

क्र.सं.	राज्य का नाम	रा.कृ.यो. में शामिल परन्तु विस्तृत जि.कृ.यो. में न दर्शाई गई परियोजनाओं की संख्या	ऐसी परियोजनाओं की स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)
1.	असम	1	7.00
2.	बिहार	102	1524.65
3.	गुजरात	27	225.49
4.	मेघालय	2	5.70
5.	राजस्थान	11	199.45
	कुल	**143**	**1962.29**

राजस्थान में, रा.कृ.यो. जिला में योजनाओं के संकलन के समय पर तीन जिलों के जि.कृ.यो. उपलब्ध नहीं थे। हालांकि ₹273.77 करोड़ की कुल लागत पर इन तीन जिलों की आठ परियोजनाओं को जि.कृ.यो. एवं रा.कृ.यो. में प्रस्तावों के बिना रा.स्त.मं.स. द्वारा संस्वीकृत किया गया था।

जब इन कमियों को मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया तो उसने उत्तर दिया (जुलाई 2014) कि राज्य स्तर पर योजना प्रक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु संशोधित रा.कृ.वि.यो. दिशानिर्देश (2014-15 से लागू) जारी किए गए थे जो अनुबंध करते हैं कि रा.स्त.मं.स. को स्वीकृति हेतु परियोजना की अनुशंसा से पहले सभी वि.प.रि. की जांच राज्य स्तरीय परियोजना आवरण समिति (रा.स्त.प.आ.स.) द्वारा की जाएगी। रा.स्त.प.आ.स. सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा अनुशंसित परियोजनाओं को जि.कृ.यो. तथा रा.कृ.यो. में दर्शाया गया है तथा राज्य/केन्द्र सरकार की अन्य योजनाओं के साथ परियोजना की कोई आवृत्ति अथवा अतिव्याप्ति तो नहीं थी। मंत्रालय ने उत्तर भी दिया (जुलाई 2014) कि ऐसी परियोजनाओं का होना सम्भावित है जो जि.कृ.यो. का

भाग न हो परन्तु उन्हें रा.कृ.यो. में शामिल किया गया हो। उत्तर दिशानिर्देशों के पैरा 3.2 के प्रावधानों के विरूद्ध था जो बताता है कि प्रत्येक राज्य जि.कृ.यो. को एकीकृत करके एक व्यापक राज्य कृषीय योजना (रा.कृ.यो.) तैयार करेगा।

***अनुसंशा 1**: मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योजनाओं को कृषीय आवश्यकता तथा कृषि-जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखने के पश्चात् तैयार किया गया है।*

***अनुसंशा 2**: मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य केवल उन्हीं परियोजनाओं को शुरू करें जोकि जि.कृ.यो. एवं रा.कृ.यो. से संगत हो।*

3.3 मंत्रालय को रा.कृ.यो. का प्रस्तुतीकरण

यद्यपि मंत्रालय ने रा.कृ.यो. के प्रस्तुतीकरण हेतु कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की थी, रा.कृ.वि.यो. दिशानिर्देशों के जारी करने की तिथि (अर्थात दिसम्बर 2007) से तीन माह की अवधि के भीतर दिशानिर्देशों ने जि.कृ.यो. तथा रा.कृ.यो. को तैयार करने का प्रावधान किया। अत: यह प्रत्याशित था कि सभी राज्य 31 मार्च 2008 तक मंत्रालय को अपनी रा.कृ.यो. प्रस्तुत करेंगे। राज्यों में अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि इस समय सीमा के संदर्भ में, 20 राज्यों के मामलों में मंत्रालय को रा.कृ.यो. के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब 14 से 42 महीनों के बीच था (विवरण **अनुबंध- III** में)। झारखण्ड, मणिपुर तथा सिक्किम ने इस संबंध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की थी।

सात राज्यों में रा.कृ.यो. को तैयार न करना/प्रस्तुतीकरण में विलम्ब होना नोडल विभाग द्वारा मामले के गैर-निष्पादन, जिला-वार प्रस्तावों के अभाव, जि.कृ.यो. को तैयार किए बिना रा.कृ.यो. को अंतिम रूप देना आदि के कारण था (विवरण **अनुबंध-IV**)।

3.4 मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं की अपर्याप्त संवीक्षा

रा.कृ.वि.यो. दिशानिर्देशों का पैरा 5.4 प्रावधान करता है कि राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण परियोजनाओं के एक सारांश सहित मंत्रालय को कार्यसूची प्रेषित करेगा जिससे कि यह रा.स्त.मं.स. की बैठक से कम से कम 15 दिनों पहले पहुंच जाए जो मंत्रालय के प्रतिनिधि को रा.स्त.मं.स. बैठक में अर्थपूर्ण प्रकार से भाग लेने में समर्थ बनाए। लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि मंत्रालय में रा.कृ.वि.यो. प्रभाग राज्यों से कार्यसूची टिप्पणियों (परियोजना प्रस्ताव) की प्राप्ति के पश्चात स्वीकृति हेतु उनका संबंधित विषय मामला प्रभाग (वि.मा.प्र.) को परिचालित करता था। फिर प्रत्येक वि.मा.प्र. अपनी टिप्पणियों सहित संबंधित परियोजना की अपनी स्वीकृति/अस्वीकृति रा.कृ.वि.यो. प्रभाग को भेजेगा। रा.कृ.वि.यो. प्रभाग में अभिलेखों की नमूना जांच ने निम्नलिखित उजागर किया:

(क) वि.मा.प्र. ने प्राय: टिप्पणी की कि राज्यों द्वारा प्रेषित कार्यसूची टिप्पणी/परियोजना प्रस्ताव अपर्याप्त एवं अपूर्ण थे जिसके परिणामस्वरूप वे परियोजना प्रस्तावों का विस्तृत रूप से मूल्यांकन करने में असमर्थ थे। वि.मा.प्र. ने रा.कृ.वि.यो. प्रभाग से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/परियोजना के पूर्ण विवरणों की मांग की जिसे वे प्राय: प्रस्तुत करने में असमर्थ थे;

(ख) परियोजना के अपूर्ण विवरणों के कारण वि.मा.प्र. ने यह भी टिप्पणी की थी कि मंत्रालय/राज्य की समान योजनाओं की आवृत्ति से बचने की आवश्यकता है। तथापि, ऐसी आवृत्ति की जांच करने हेतु मंत्रालय में कोई प्रक्रिया नहीं थी;

(ग) रा.कृ.वि.यो. प्रभाग द्वारा मुख्य/लघु सिंचाई से संबंधित परियोजनाओं के संबंध में टिप्पणियों हेतु प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (प्रा.सं.प्र.) प्रभाग को प्रेषित किया गया था। प्रा.सं.प्र. प्रभाग ने आगे रा.कृ.वि.यो. प्रभाग को जल संसाधन मंत्रालय से टिप्पणियों की मांग करने को कहा क्योंकि यह उस मंत्रालय से संबंधित मामला था। लेखापरीक्षा ने जल

संसाधन को किया गया ऐसा कोई प्रेषण अथवा ऐसी परियोजनाओं पर उसकी टिप्पणियां नहीं पाई थी;

(घ) 15 दिनों की अवधि की समय सीमा मंत्रालय के लिए किसी भी परियोजना का पूर्ण विवरण प्राप्त करने तथा वि.मा.प्र./जल संसाधन मंत्रालय की टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु काफी कम थी।

जैसाकि संवीक्षा की उपर्युक्त प्रवृत्ति से सुस्पष्ट है कि मंत्रालय के स्तर पर परियोजनाओं के परीक्षण हेतु कोई उपयुक्त पद्धति नहीं थी, तथा इस प्रकार रा.स्त.मं.स. द्वारा ऐसी परियोजनाओं की स्वीकृति से पहले मंत्रालय के पास उनकी सम्भाव्यता के संदर्भ में सुविचारित तर्क नहीं था। राज्यों को अपने पत्रों (अगस्त 2012, जनवरी तथा फरवरी 2013) में मंत्रालय ने रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत निधियन हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं के परीक्षण पर बल दिया तथा पाया कि ये प्रस्ताव पर्याप्त पूर्व-परीक्षण के बिना रा.स्त.मं.स. के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि नौ राज्यों के ₹367.99 करोड़ की स्वीकृति लागत वाले 73 परियोजना प्रस्तावों जिनमें उपरोक्त कमियां थीं, को रा.स्त.मं.स. द्वारा 2007-08 से 2012-13 के दौरान संस्वीकृत किया गया था (राज्य-वार विवरण **अनुबंध–V)**। वि.मा.प्र. द्वारा कमियों को उजागर करने के बावजूद रा.स्त.अं.स. द्वारा इन परियाजनाओं को स्वीकृत किया गया था। इसने राज्यों द्वारा परियोजना प्रस्तावों को तैयार करने के संबंध में मंत्रालय के दिशानिर्देशों तथा रा.स्त.मं.स. द्वारा परियोजनाओं पर मंत्रालय की अभ्युक्तियों के तर्क के संबंध में अपर्याप्त सम्मान को दर्शाया।

अनुसंशा 3: *मंत्रालय संवीक्षा तथा निर्णय लेने में आसानी की दृष्टि से राज्यों को स्पष्ट तथा संक्षिप्त प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए कहे। मंत्रालय अन्त:/अंतर मंत्रालय परामर्श तथा स्वीकृत प्रक्रिया हेतु स्वयं को यथार्थवादी समय सीमा प्रदान करें।*

3.5 उन परियोजनाओं को स्वीकृति जो रा.कृ.वि.यो. से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे/अनुमेय नहीं थी

मंत्रालय ने (जनवरी 2011) में सभी राज्यों/सं.शा.क्षे. को केवल उन परियोजनाओं को स्वीकृत करने को कहा जो राज्य द्वारा अपनाई गई योजना में पहचान किए गए संकेन्द्रित क्षेत्रों से जुड़ी है। इसी प्रकार, रा.स्त.मं.स द्वारा उन परियोजनाओं की स्वीकृति के संदर्भ में जो आवर्ती निधि को शामिल किए हुए थी, मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश राज्य को सूचित किया (फरवरी 2013) कि रा.कृ.वि.यो निधि को आवर्ती निधि के लिए उपयोग नही किया जा सकता है।

तथापि, मंत्रालय में अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि 2007-08 से 2012-13 के दौरान चार राज्यों में ₹64.60 करोड़ की लागत की दस परियोजनाएं, जो कृषि अथवा सम्बद्ध क्षेत्रों से सीधे सम्बंधित नहीं थी, रा.स्त.मं.स. द्वारा स्वीकृत की गई थीं, जिसमें ₹25 करोड़ की लागत से राजस्थान में राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की अवसंरचना के सशक्तिकरण जैसी परियोजनाएं शामिल थी (राज्य-वार विवरण **अनुबंध-VI** में है)। इसी प्रकार चार राज्यों में केरल कृषि उद्योग निगम द्वारा बहु उपयोगी वाहन के क्रय हेतु ₹33.70 लाख जैसी अस्वीकार्य मदों हेतु ₹12.43 करोड़ दिए गए थे (राज्य वार विवरण **अनुबंध-VII** में है)।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2014) कि उन विशेष परियोजनाओं से संबंधित मामले की जांच की जा रही थी तथा संशोधित रा.कृ.वि.यो. दिशानिर्देश जिनमें मदों/कार्यों की नकारात्मक सूची शामिल होगी, जिन्हें रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए था। रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत नकारात्मक मदों पर, मंत्रालय द्वारा कोई विशेष उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

3.6 परियोजनाओं के अनियमित अनुमोदन/ कार्यान्वयन के अन्य मामले

क) एजेंडा में उल्लेख न की गई परियोजना की अनियमित संस्वीकृति

अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि ₹84.49 करोड़ की लागत पर 14 परियोजनाएं जिनका उल्लेख कर्नाटक, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल द्वारा अग्रेषित एजेंडा में नहीं किया गया था, उन्हें रा.स्त.मं.स. द्वारा संस्वीकृत कर दिया गया था (विवरण **अनुबंध VIII** में दिए गए है) जोकि परियोजनाओं के चयन/संस्वीकृति में मंत्रालय की उपेक्षा को दर्शाता है। यह रा.कृ.वि.यो. दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

ख) रा.स्त.मं.स. की संस्वीकृति के बिना परियोजनाओं का अनियमित कार्यान्वयन

मध्य प्रदेश में, यह देखा गया कि ₹37.67 करोड़ की लागत पर 10 परियोजनाओं को कृषि विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया था जबकि रा.स्त.मं.स. की पूर्व संस्वीकृति के बिना पशुपालन विभाग द्वारा ₹88.74 करोड़ की लागत पर 12 नई परियोजनाएं कार्यान्वित की गई थीं।

ग) परियोजनाओं का गलत वर्गीकरण जिसके कारण निधियों का अधिक आवंटन हुआ

कर्नाटक में, स्ट्रीम-I के अंतर्गत रा.स्त.मं.स. द्वारा संस्वीकृत चार परियोजनाएं वर्तमान में चल रही राज्य क्षेत्र योजनाएं जैसे कि 'कर्नाटक बीज मिशन', 'कर्नाटक फार्म मशीनीकरण', 'जैविक खेती' एवं 'एग्रो-प्रोसेसिंग थी'। इन परियोजनाओं को स्ट्रीम-II के अंतर्गत माना जाना चाहिए था जिसके लिए निधियों के आवंटन का अधिकतम 25 *प्रतिशत* चिन्हित किया गया था। स्ट्रीम-I के अंतर्गत इन परियोजनाओं के गलत वर्गीकरण के कारण, 2007-13 की अवधि के दौरान इन परियोजनाओं पर ₹491.68 करोड़ की निधियों का अधिक आवंटन हुआ था।

कुछ अन्य राज्यों में, इसी प्रकार की कमियां देखी गई थी जैसाकि **अनुबंध-IX** में बताया गया है।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2014) कि मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया जा रहा था।

3.7 राज्यों में अन्य विभागों/योजनाओं के साथ समन्वय

जि.कृ.यो. को संबंधित जिले में परिचालन में कई कार्यक्रमों को एकीकृत करना, राज्य द्वारा चिन्हित संसाधनों एवं गतिविधियों को शामिल करना, अन्य कार्यक्रमों से उपलब्ध संसाधनों को जोड़ना और इन्हें अंतिम रूप देना था। जिन तत्वों को ध्यान में रखा जाना था उन्हें कम से कम इन्हें कवर करना था:

क) क्षेत्रीय एवं जिला खंड/राज्य योजना

ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं अर्थात् नरेगस, बी.आर.जी.एफ., एस.जी.एस.वाई एवं भारत निर्माण, आदि और

ग) केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोग द्वारा बंधे एवं खुले अनुदान

तदुपरांत, परियोजनाओं को तैयार करने और मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन करने तथा उनके कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न विभागों एवं कार्यान्वयन अभिकरणों के साथ प्रभावी रूप से समन्वय करने के लिए नोडल अभिकरण/कृषि विभाग को जिम्मेदार होना था। दिशानिर्देशों के पैरा 6.3 के अनुसार, रा.स्त.मं.स. सदा यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी कि प्रयासों या संसाधनों की आवृत्ति न हो। भा.स. द्वारा जारी निर्देशों (मार्च 2010) के अनुसार, राज्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) के साथ रा.कृ.वि.यो. के साथ अभिसरण को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रयास करने थे, ताकि इस प्रक्रिया में कृषि संबंधी समुदायों की आय को अधिकतम बनाया जा सके।

3.8 अभिसरण/समन्वय गतिविधियों की अनुपस्थिति

राज्यों में अभिलेखों की नमूना जांच में वर्तमान भा.स. योजनाओं या वर्तमान की राज्य योजनाओं के साथ रा.कृ.वि.यो. के गैर-अभिसरण के उदाहरण सामने आए। 19 क्षेत्रों में से, 14 क्षेत्रों एवं आठ उप-योजनाओं में नोडल विभाग एवं कार्यान्वयन विभाग/अभिकरणों के बीच गैर-अभिसरण एवं गैर-समन्वय के उदाहरण नोट किए गए हैं: (परियोजना वार-विवरण **अनुबंध-X** में दिए गए है) गैर-अभिसरण एवं गैर-समन्वय के कुछ क्षेत्र-वार उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

तालिका 3.2

रा.कृ.वि.यो. क्षेत्र/योजना	दोहरी योजना	समन्वय की कमी	राज्य
सामुदायिक ट्यूबवैल योजना	मनरेगस		उत्तर प्रदेश
बीज संविरण मोनसेंटो के माध्यम से		कृषीय विभाग के साथ समन्वय की कमी के कारण किसानों को बीज देरी से मिले	राजस्थान
गेहूँ के उत्पादन को बढ़ाना	उन्हीं जिलों में पूर्वी भारत में हरित क्रांति (बी.जी.आर.ई.आई.) लाना		उत्तर प्रदेश
पशु पालन	एस.जी.एस.वाई./ए.टी.ए म.ए. मवेशी तथा भैंस प्रजनन राष्ट्रीय परियोजना		उत्तर प्रदेश
कृषि मशीनीकरण	एम.एम.ए. के अंतर्गत भी		छत्तीसगढ़
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	अन्य वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वित जल एकत्रण		जम्मू एवं कश्मीर तथा मेघालय

फसल पश्चात प्रबंधन	समान कार्यक्रमों की अतिव्याप्ति		गुजरात तथा पश्चिम बंगाल
मत्स्य पालन		समान केन्द्रीय योजना, जो अधिक लाभकारी थी, के होने के कारण छोड़ दिया गया	राजस्थान
जैविक कृषि		विभिन्न विभागों के बीच कमी का परिणाम कार्यों की अतिव्याप्ति में हुआ	उत्तराखण्ड

रा.कृ.वि.यो. की आठ उप-योजनाओं नामत: बी.जी.आर.आई., केसर मिशन, बी.आई.यू.सी. एन.एम.पी.एस. ए.एफ.डी.पी., आर.ए.डी.पी., वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में 60,000 दाल ग्रामों के एकीकृत विकास का कार्यक्रम तथा आई.एन.एस.आई.एम.पी. के संबंध में यह पाया गया था कि इन उप-योजनाओं के अंतर्गत प्रारम्भ किए गए कार्यों को पहले ही असम, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में सामान्य रा.कृ.वि.यो., वर्तमान राज्य/केन्द्रीय योजनाओं के तहत प्रारम्भ किया जा चुका था जो इस प्रकार अभिसरण की कमी को दर्शाता है।

***अनुशंसा 4**: कृषि क्षेत्र में योजनाओं में जटिलता एवं गुणात्मकता को हटाने हेतु योजना की रूपरेखा की समीक्षा की जानी चाहिए।*

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2014) कि मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाया जा रहा था।

3.9 निष्कर्ष

समीक्षा में शामिल 27 राज्यों में लेखापरीक्षा ने पाया कि कई राज्यों में योजना प्रक्रिया कई पहलुओं में त्रुटिपूर्ण थी जैसे कि ग्राम पंचायत/ग्राम

सभाएं/ब्ला.कृ.यो.ई./ग्रा.कृ.यो.ई. जैसे आधारभूत स्तरीय अभिकरणों का गैर-आवेष्टन/सहयोग, जि.कृ.यो. को तैयार करने में मूल सहयोग का अभाव, रा.कृ.यो. को तैयार करने में कमियां जैसे कि कृषि जलवायु अध्ययन/अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिसरण, आदि। मंत्रालय द्वारा ₹367.99 करोड़ की लागत के 73 परियोजना प्रस्तावों में कमियों को उजागर करने के बावजूद इन्हें रा.स्त.मं.स. द्वारा स्वीकृत किया गया था। दिशानिर्देशों के उल्लंघन में ₹64.60 करोड़ की लगात की दस परियोजनाओं जो कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थी, को रा.स्त.मं.स. द्वारा स्वीकृत किया गया था, तथा ₹12.43 करोड़ का व्यय उन मदों पर किया गया था जो रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत अुनमेय नहीं थीं।

योजना स्तर पर समन्वय की कमी तथा अभिसरण के अभाव के कारण रा.कृ.वि.यो. परियोजनाओं का मनरेगस जैसी केन्द्रीय/राज्यों की योजनाओं तथा उप-योजनाओं के संबंध में स्वयं रा.कृ.वि.यो. के भीतर भी अतिव्याप्ति थी। अभिसरण की कमी का परिणाम राजकोष को लागत पर लोक धन की बर्बादी में होता है। इसके अतिरिक्त, यह इस तथ्य को भी इंगित करता है कि वि.प.रि. को केन्द्र/राज्य सरकार की वर्तमान योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से संभव सहक्रिया का लाभ उठाकर उचित रूप से तैयार किया गया था। इसलिए कृषीय वृद्धि को बढ़ावा देने हेतु सभी खण्डों से संसाधनों का विन्यास करने का एक सु-समन्वित प्रयास मौजूद नहीं था।